न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–32/2023

राज्य

बनाम्

पंकज कुमार साहु एवं अन्य

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 296/अप0शा0 दिनांक 22.02.2024 से चन्दवा थाना काण्ड संख्या–64/2023 दिनांक 13.03.2023 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0–JH01AY-9687, इंजन नं0– RAGW09641, चेसीस नं0–RAGW09641 2. सोनालिका ट्रैक्टर रजि0–JH19A-0542 इंजन नं0–3095F82K158389, चेसीस नं0–CZFSB157369/1A एवं 3. शक्तिमान ट्रैक्टर रजि0–JH01BE-2600 इंजन नं0– S30CD3945, चेसीस नं0–S30CD3945 पर लदे कुल–9 टन कोयला का राजसात के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि चन्दवा थाना काण्ड संख्या–64/2023 दिनांक 13.03.2023 में पु0अ0नि0, जमीन अंसारी, चन्दवा थाना को दिनांक 13.03.2023 को समय करीब–01:00 बजे गुप्त सूचना मिला कि अवैध कोयला चोरी कर ट्रैक्टर में लोड कर सेरक, बारी, रामपुर आदि के ईंट भठ्ठो में गिराने हेतू ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देश के आलोक में सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ समय 01:05 बजे थाना से प्रस्थान किया। समय करीब 02:30 बजे ग्राम–हुचलू, आंगनबाड़ी केन्द्र के समीप पहुंचा तो देखा कि कुछ ट्रैक्टर एक साथ सेरक की ओर जाने वाले सड़क से जा रहे हैं, जिसे रूकने के इशारा करने पर चालक के द्वारा तेजी से भगाने का प्रयास किया जाने लगा तो

छापामारी दल के सहयोग से उक्त वाहनों को रोका गया। ट्रैक्टर के रूकते ही ट्रैक्टर चालक उसमें बैठे अन्य व्यक्ति भागने लगे। छापामारी दल के सहयोग से तीन लोगों को पकड़ा गया तथा कुछ लोग रात्रि एवं सुनसान ईलाके के फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़ाये व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ करने पर बताये कि 1. रमजान अंसारी शक्तिमान–30 ट्रैक्टर इंजन नं0–S30C83945, चेसीस नं0–006505439C1 के मालिक, 2. इसराफिल अंसारी सोनालिका ट्रैक्टर इंजन नं0–CA301231, चेसीस नं0–CZFSB157369/1A के मालिक तथा 3. सुल्तानी अंसारी महिन्द्रा ट्रैक्टर इंजन नं0–RAGW09641, चेसीस नं0–006505439C1 के मालिक सह चालक है। तत्पश्चात् उपरोक्त ट्रैक्टर पर लदे 3–3 टन कोलया बरामद हुआ। बरामद कोयला के संबंध में पकड़ाये व्यक्तियों से वैध कागजात की मांग करने पर कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और पकड़ाये व्यक्तियों के द्वारा वाहन का कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आलोक में चन्दवा थाना काण्ड संख्या–64/2023 दिनांक 13.03.2023 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0–JH01AY-9687, इंजन नं0– RAGW09641, चेसीस नं0–RAGW09641 2. सोनालिका ट्रैक्टर रजि0–JH19A-0542 इंजन नं0–3095F82K158389, चेसीस नं0–CZFSB157369/1A एवं 3. शक्तिमान ट्रैक्टर रजि0–JH01BE-2600 इंजन नं0– S30CD3945, चेसीस नं0–S30CD3945 पर लदे कुल–9 टन कोयला को राजसात करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी मो0 अजहर उद्दीन द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से बचाव पक्ष रखा गया। शेष ट्रैक्टर मालिक द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

विपक्षी मो0 अजहर उद्दीन के अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा राजसात हेतु समर्पित प्रस्ताव विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं होने के कारण खारीज करने योग्य है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा–05 के अनुसार ''Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or not-existence of every fact in issued

and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others.'' आवेदक द्वारा विपक्षी को गलत साक्ष्य के आधार पर इस राजसात वाद के साथ जोड़ा जा रहा है। उक्त वाद 'चोरी' तथा 'चोरी के समान को छुपाने में सहायता प्रदान करने से संबंधित नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने ट्रैक्टर में चोरी की गई कोयला को लोड नहीं किया जा रहा था। इस बात का प्रमाण यह है कि कोयला के मालिक द्वारा विपक्षी के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करायी गई है। प्राथमिकी में विपक्षी का नाम दर्ज नहीं होने के साथ ही चोरी की गई कोयला के वास्तविक मालिक का नाम दर्ज है। विपक्षी के ट्रैक्टर रजि0 नं0—JH01BE-2600 ईंजन नं0—S30CD3945, चेसीस नं0—S30CD3945 है, जिसे पुलिस द्वारा इस वाद में कभी भी पकड़ा नहीं गया है। विपक्षी के पास ट्रैक्टर से संबंधित वैध एवं कानूनी कागजात है। अतः राजसात की प्रक्रिया को खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तर्कों एवं अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0—JH01AY-9687, इंजन नं0—RAGW09641, चेसीस नं0—RAGW09641 2. सोनालिका ट्रैक्टर रजि0—JH19A-0542 इंजन नं0—3095F82K158389, चेसीस नं0—CZFSB157369/1A एवं 3. शक्तिमान ट्रैक्टर रजि0—JH01BE-2600 इंजन नं0— S30CD3945, चेसीस नं0— S30CD3945 से बिना ई—परिवहन चालान के 09 टन कोयला का परिवहन का कार्य किया जा रहा था, जो पूर्णतः अवैध है।

न्यायालय माननीय खान आयुक्त, रांची द्वारा रिविजन वाद संख्या—28 / 2023, में दिनांक 27.02.2024 को पारित आदेश में कहा गया है कि "As petitioners were not a repeated offender of the JMMC Rule 2017 and there is an alternative remedy in terms of penalty under Rule 54(5) of the JMMC (amendment) rule 2017."

उपरोक्त परिपेक्ष्य में 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0—JH01AY-9687, इंजन नं0— RAGW09641, चेसीस नं0—RAGW09641 2. सोनालिका ट्रैक्टर रजि0—JH19A-0542 इंजन नं0— 3095F82K158389, चेसीस नं0—CZFSB157369/1A एवं 3. शक्तिमान ट्रैक्टर रजि0—JH01BE-2600 इंजन नं0—S30CD3945, चेसीस नं0—

530CD3945 को सक्षम न्यायालय के वैध वाहन मालिक का प्रमाण पत्र एवं उचित पहचान पर अर्थ दण्ड मो0 20,000/- रू0 सरकारी कोष (श्रप्डडै) में भुगतान करने एवं मो0 20,000/ रू0 का बंध पत्र प्रस्तुत करने तथा एक स्थानीय जमानतदार के उपरान्त कड़ी चेतावनी के साथ निम्नलिखित शर्तों पर राजसात की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश के बदला नहीं जायेगा।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी। अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे तथा वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश के हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।
4. उक्त वाहन का सक्षम न्यायालय द्वारा वैद्य वाहन मालिक का निर्धारण का प्रमाण, अपना पहचान के रूप में स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल संख्या अंकित कर समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति विपक्षीगण/थाना प्रभारी, चन्दवा थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

19/2/18
उपायुक्त,
लातेहार।

19/2/18
उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:09:22 +05:30
Location: 192.168.5.143